



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15092026-276215
CG-DL-E-15092026-276215

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4831]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 10, 2026/भाद्र 19, 1948

No. 4831]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 10, 2026/BHADRA 19, 1948

विद्युत मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 2026

का.आ. 5021(अ).— जबकि, मेसर्स टेपसोल सन स्पार्कल प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय चौथा तल, नेक्सटी टी30, सिल्पा ग्राम क्राफ्ट विलेज, हाइटेक सिटी, हैदराबाद – 500081, भारत में स्थित है, ने ट्रांसमिशन योजना "राजस्थान के फलोदी में स्थित मेसर्स टेपसोल सन स्पार्कल प्राइवेट लिमिटेड के 300 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क को कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु पारेषण प्रणाली" के तहत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. No. 25-17/37/2026-Power Grid (MoP) दिनांक 23.02.2026 के द्वारा ट्रांसमिशन योजना "राजस्थान के फलोदी में स्थित मेसर्स टेपसोल सन स्पार्कल प्राइवेट लिमिटेड के 300 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क को कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु पारेषण प्रणाली" के अंतर्गत आने वाली ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के लिए विद्युत अधिनियम की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

मेसर्स टेपसोल सन स्पार्कल प्राइवेट लिमिटेड ने प्रस्तावित संचरण योजना के संबंध में सूचना स्थानीय समाचार पत्रों द इंडियन एक्सप्रेस (अंग्रेजी में) दिनांक 20.04.2026 और दैनिक भास्कर (हिंदी में) दिनांक 20.04.2026 तथा साप्ताहिक राजपत्र दिनांक 23.05.2026 में प्रकाशित की थी, जिसमें आम जनता से प्रकाशन की तिथि से दो महीने के

भीतर प्रस्तावित संचरण मार्ग पर अपनी टिप्पणियां / अभ्यावेदन देने का अनुरोध किया गया था। इसके बाद, मेसर्स टेपसोल सन स्पार्कल प्राइवेट लिमिटेड ने दिनांक 18.08.2026 को एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें यह घोषित किया गया कि भारत सरकार के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि और समाचार पत्रों में प्रकाशन की तिथि से दो महीने के भीतर मेसर्स जुनिपर ग्रीन इंडिया सिक्स प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स भादला श्री एसकेपी ग्रीन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, जिनके टिप्पणियां / अभ्यावेदन को बाद में सौहार्दपूर्ण समाधान के बाद क्रमशः 08.07.2026 और 23.07.2026 के उनके आधिकारिक ईमेल के माध्यम से वापस ले लिया गया था।

मेसर्स टेपसोल सन स्पार्कल प्राइवेट लिमिटेड ने दिनांक 28.07.2026 को एक वचन पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि प्रस्तावित ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन(नो) का मार्ग राजस्थान के संशोधित ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIB) प्राथमिकता क्षेत्र के बाहर स्थित है, जैसा कि रिट याचिका (सिविल) संख्या 838/2019 के दिनांक 19.12.2025 के आदेश में संदर्भित है। आवेदक ने यह भी वचन दिया है कि वह उक्त निर्णय में निहित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सभी निर्देशों तथा उक्त आदेश के अनुपालन में सक्षम प्राधिकारी द्वारा भविष्य में जारी किए जाने वाले किसी भी निर्देश का पूर्णतः पालन करेगी। साथ ही, आवेदक ने यह भी बताया गया है कि ट्रांसमिशन लाइन का संरेखण इस प्रकार बेहतर बनाया गया है कि जहाँ तक संभव हो, वे अधिकतम साझा मार्ग का उपयोग करें।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत ट्रांसमिशन योजना "राजस्थान के फलोदी में स्थित मेसर्स टेपसोल सन स्पार्कल प्राइवेट लिमिटेड के 300 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क को कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु पारेषण प्रणाली" के तहत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किये गए टेलीग्राफ लाइन एवं खम्भे या इस प्रकार की स्थापना और अनुरक्षण किये जाने के लिए, टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्राप्त हैं। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन हैं:

- टेपसोल सन स्पार्कल प्राइवेट लिमिटेड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क (उत्पादन स्विचयार्ड – ग्राम नोख, जिला फलोदी, राजस्थान) से भादला-III (ISTS) पूलिंग स्टेशन तक 220 केवी सिंगल सर्किट लाइन, डबल सर्किट टावरों पर।

उपरोक्त योजना के अंतर्गत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन राजस्थान राज्य के निम्नांकित गाँवों, कस्बों और शहरों से होकर, उन पर से, उनके आसपास से और बीच से होकर गुज़रेगी।

क्रम सं.	गांव का नाम	तहसील/तालुका	जिला	राज्य
1.	बिकमपुर	कोलायत	बीकानेर	राजस्थान
2.	बोडाना, बोराना, गेलवा कैंप, गेलवा की धानी, तलरिया, नोख, नौख, थाकरबा, ठाकुरबे	बाप	फलोदी	राजस्थान

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत, मेसर्स टेपसोल सन स्पार्कल प्राइवेट लिमिटेड को उपरोक्त ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किये गए टेलीग्राफ लाइन एवं खम्भे या इस प्रकार की स्थापना और अनुरक्षण किये जाने के लिए, टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्राप्त हैं-

- यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।
- आवेदक को प्रस्तावित लाइन की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकरणों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।

- iii. आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए ट्रांसमिशन, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।
- iv. आवेदक केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइन का प्रचालन करेगा।
- v. यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्वधीन है।
- vi. टेपसोल सन स्पार्कल प्राइवेट लिमिटेड को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।
- vii. यदि, उपरोक्त ओवरहेड लाइन का मार्ग (या उपरोक्त ओवरहेड लाइन के मार्ग का कुछ हिस्सा) संशोधित ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) क्षेत्र में आता है, तो आवेदक को भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रिट याचिका (सिविल) संख्या 838/2019 में दिनांक 19.12.2025 के आदेश और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के अनुसरण में सक्षम अधिकारियों द्वारा दिए गए किसी भी अन्य निर्देशों का पालन करना होगा।

[फा. सं. 25-16/77/2026-पावर ग्रिड(एमओपी)]

एम.वी.एन. वरा प्रसाद, अवर सचिव (पीजी)

MINISTRY OF POWER

ORDER

New Delhi, the 9th September, 2026

S.O. 5021(E).— Whereas M/s Tepsol Sun Sparkle Private Limited having its registered office at 4th Floor, Nexity T30, Silpa Gram Craft Village, HITEC City Hyderabad – 500 081, Telangana (India), has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of overhead transmission line included in the transmission system for providing connectivity to M/s Tepsol Sun Sparkle Private Limited for its 300MW Renewable Power Park in Phalodi, Rajasthan.

And whereas, Ministry of Power, Government of India vide its letter no. 25-17/37/2026-POWERGRID (MoP) dated 23.02.2026 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 for laying of overhead transmission line included in the transmission system for providing connectivity to M/s Tepsol Sun Sparkle Private Limited for its 300MW Renewable Power Park in Phalodi, Rajasthan.

M/s Tepsol Sun Sparkle Private Limited had published notice for transmission scheme in local newspapers The Indian Express (in English) dated 20.04.2026 & Dainik Bhaskar (in Hindi) dated 20.04.2026 and in Weekly Gazette of India dated 23.05.2026 for the general public to make observations/ representations on the proposed transmission route within two months from the date of publication. Subsequently, M/s Tepsol Sun Sparkle Private Limited has submitted an affidavit dated 18.08.2026 declaring that two observation/ representation were received within two months from the date of Publication in the official Gazette of Government of India and from the date of Publication in the Newspapers from M/s Juniper Green India Six Pvt Ltd. and M/s Bhadla Three SKP Green Ventures Pvt Ltd , which were later withdrawn after amicable resolution vide their official mails dated 08.07.2026 and 23.07.2026 respectively.

M/s Tepsol Sun Sparkle Private Limited had submitted an Undertaking dated 28.07.2026 stating that the route of the proposed overhead transmission line(s) is located outside the Revised Great Indian Bustard (GIB) Priority Area of Rajasthan and Gujarat, as referred to in the judgment of the Hon'ble Supreme Court of India dated 19.12.2025 in Writ Petition (Civil) No. 838 of 2019; the applicant has further undertaken to comply with all directions of the Hon'ble Supreme Court as contained in the said judgment as well as with any subsequent directions issued by the

competent authorities in pursuance of the above order by the Hon'ble Supreme Court, and has also stated that the transmission line alignment has been optimized, in such a way that they share maximum common stretch to the extent possible

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of electrical lines under the transmission scheme "Transmission System for providing connectivity to M/s Tepsol Sun Sparkle Private Limited for its 300MW Renewable Power Park in Phalodi, Rajasthan.". The following overhead transmission line is covered under this scheme:

- Tepsol Sun Sparkle Private Limited Renewable Power Park (Generation switchyard located in village Nokh, District Phalodi, Rajasthan)- Bhadla-III Pooling Station 220 kV S/c line on D/c towers.

The overhead transmission line covered under the above scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities of Rajasthan:

Name of Villages	Taluka	District
Bikampur	Kolayat.	Bikaner
Bodana, Borana, Gelwa Camp, Gelwa ki Dhani, Talriya, Nokh, Naukh, Thakarba, Thakur Be	Bap	Phalodi

Now, after careful consideration, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s Tepsol Sun Sparkle Private Limited for laying above overhead transmission line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned line, namely:

- i. The approval is granted for 25 years.
- ii. The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities, i.e., local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed line.
- iii. The Applicant shall have to follow regulations/ codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under the Electricity Act, 2003.
- iv. The Applicant shall operate the line after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.
- v. The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.
- vi. M/s Tepsol Sun Sparkle Private Limited shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defense etc., at the time of Electrical Inspection.
- vii. In case, the route of above overhead lines (or some portion of the route of above overhead line) falls in the Revised Great Indian Bustard (GIB) area, the applicant has to comply with the directions of Hon'ble Supreme Court of India in its order dated 19.12.2025 in Writ Petition (Civil) No. 838 of 2019 and any other directions given by competent authorities in pursuance of the above order by Hon'ble Supreme Court.

[F. No. 25-16/77/2026-POWER GRID(MoP)]

M.V.N. VARA PRASAD, Under Secy. (PG)